

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

हजीफा खां बनाम जगदीश (वगैरा)

किरम मुकदमा प्री. पत्र 11-128 नं० 78 सन 2020

| दिनांक | हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए |
|---------|---|--|
| 5-6-20 | वाद / प्रार्थनापत्र वाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 14-7-20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल | |
| 14-7-20 | उभय पक्ष उपस्थित गीनसीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल | |
| 14/8/20 | पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। 25-8-20 | |
| 25-8-20 | उभय पक्ष उपस्थित गीनसीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अतः पत्रावली दिनांक 15-9-20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल | |
| 15-9-20 | पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के सम्मन वाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार माण्डल से मौका डिपटि प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, अप्रार्थी गण को खिन्ती मर्तवा आवाजे दिलायी जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं। इनके विकल्प एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश | प्रतिवादी से उ के खिन्ती मर्तवा काफिले वही भ्रष्ट है। 15/9/20 |

0
4
1
5
3
1
5
2
3
3



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज

नाम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम
हुकम की तारीख
में जारी हुए

दिये जाते हैं। वकील प्रार्थी अप्रार्थी स्य ०
उ के बिना कोई कार्यवाही नहीं चालते हैं।
वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील
प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी
की का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय सूचक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया गया। पत्रावली फंसेल शुमार होकर
मगबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला नीलवाड़ा

राजस्थान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

संख्या - 78/20 प्रा.राज

1- श्री हर्षाफ रत्ता सो श्री तुल्हे रत्ता गठान गिवासी-तुहारिया तह माण्डल का

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री पद्मदीश सो श्री गोपीलाल कलाल निवासी-तुहारिया तह माण्डल (गैरा)
(प्रशासित प्राप्य स्वयं)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम... तुहारिया पटवार हल्का तुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 3272/2337 कुल किता 01 रकबा 04 बीघा 05 विस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15-09-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम... तुहारिया पटवार हल्का तुहारिया तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3272/2337 कुल किता 01 रकबा 04 बीघा 05 विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक तुहारिया 400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल गिवासी भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल गिवासी भीलवाडा